न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 43/2023

श्री सुजाअत अली पुत्र मोहम्मद अली खां, जाति मुसलमान, निवासी रजबन की मस्जिद के पास, इकरामुद्दीन खां की हवेली, टोंक तहसील/जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.01.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2023 को प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में निम्न वर्णित सूचना चाही है –

मन्सूर अली खां, व्याख्याता (जी.वि.) राज. बालिका उ. मा. वि. गुलजार बाग, टोंक सत्र 1983–84 में भवन निर्माण अग्रिम की सूचना।

1. खाता संख्या
2. पत्रावली संख्या
3. सेवानिवृत्त वर्ष 2009 में दी गयी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1240 दिनांक 26.12. 2023 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांकः 728 दिनांक 04.01.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 693 दिनाक 08.11.2023 से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर टोंक